

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 7th November, 2013

No.CCP(NCR)/JJR/DR-KIK-SJPR/CA/2013/2587.—Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities, industrial, commercial, institutional or recreational estates/activities and uses subservient to the above;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of Controlled Area including revenue estates of village Durina (Hadbast Number - 267), Kilo (Hadbast Number - 268), SeojiPur (Hadbast Number - 272), Dadri Toe (Hadbast Number-275) and Aurang Pur (Hadbast Number - 273), Jhajjar district to be read with Drawing number DTP(JH) 414/11, dated the 24th November,2011.

North: Starting from point 'A' i.e. the point where Controlled Area boundary declared around Jhajjar town vide notification number 260-10DP-82/4784 dated 26th March 1982 meets the western boundary of rectangle number 10 of village Durina , which is also tri-junction of revenue boundaries of village Durina , village Silana (Hadbast Number - 259) and village Silani Pana Keso (Hadbast Number-253). Thence moving towards north-east along the south eastern boundary of already notified Controlled Area vide notification number 260-10DP-82/4784 dated 26th March 1982 upto point 'B' i.e. the meeting point of the boundaries of already declared Controlled Area vide notification number 260-10DP-82/4784 dated 26th March 1982 and CCP(NCR)/NT(JB-JJR)/17/CA/2007/1606 dated 20th April, 2007. Thence moving from point 'B' towards south along the western and southern boundary of already declared Controlled Area vide notification number CCP(NCR)/NT (JB-JJR)/17/CA/2007/1606 dated 20th April, 2007 upto point 'C' which is the tri-junction of the revenue boundary of village Kilo and boundaries of already declared Controlled Area vide notification number CCP(NCR)/NT(JB-JJR)/17/CA/2007/1606 dated 20th April, 2007 and notification number CCP(NCR)/NT(JB-JJR)/17/CA/2007/1613 dated 20th April, 2007.

East: Thence moving from point 'C' towards south along the western boundaries of already declared Controlled Area vide notification number CCP(NCR)/NT(JB-JJR)/17/CA/2007/1613 dated 20th April, 2007, vide notification number CCP(NCR)/NT(JB-JJR)/17/CA/2007/1603 dated 20th April, 2007 and vide notification number CCP(NCR)/NT(JB-JJR)/17/CA/2007/1601 dated 20th April, 2007 upto point 'D' which is the southern most corner of rectangle number 84 of village Dadri Toe.

South: Thence from point 'D' towards west along the southern boundaries of rectangle number 84, 83 & 82 of village Dadri Toe, rectangle number 70,71,72,69,68,67,64,65,66,57 & 56 of village AurnagPur , upto point 'E', which is the tri-junction of revenue boundaries of village Jahad Pur (Hadbast Number -255), village AurangPur and village Utloda (Hadbast Number-257).

West: Thence moving from point 'E' towards north along the western boundary of rectangle number 56,55,42,41,27, 26,14,13,12,1 & 2 of village Aurang Pur , rectangle number 53,54,43,42,31,30,29,20,19,10 of village Durina up to point 'A' i.e. the point of start.

T.C. Gupta,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना
दिनांक 7 नवम्बर, 2013

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/जे.जे.आर./डी. आर.- के.आइ.के.- एस.जे.पी.आर./सी.ए./2013/2587 .— चूंकि सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र भवन गतिविधियों औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या मनोरंजनात्मक सम्पदाओं/गतिविधियों तथा उपरोक्त के सहायक उपयोगों के लिए संभाव्य है:

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

जिला झज्जर में गांव दुरिना (हदबस्त संख्या 267), किलोई (हदबस्त संख्या 268), श्योजीपुर (हदबस्त संख्या 272), दादरी तौए (हदबस्त संख्या 275) तथा औरंगपुर (हदबस्त संख्या 273) की राजस्व सम्पदाओं को शामिल करते हुए नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जेएच) 414/11, दिनांक 24 नवम्बर, 2011 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'ए' से आरम्भ करते हुए अर्थात् बिन्दु जहां झज्जर शहर के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र की सीमा अधिसूचना संख्या 260-10 डी पी - 82/4784, दिनांक 26 मार्च, 1982 द्वारा घोषित है, और जो गांव दुरिना (हदबस्त संख्या 267) की आयत संख्या 10 की पश्चिमी सीमा से मिलती है, जोकि गांव दुरिना, गांव सिलाना (हदबस्त संख्या 259) तथा गांव सिलानी पाना केशो (हदबस्त संख्या 253) की राजस्व सीमाओं का त्रिकोणीय संगम भी है। तत्पश्चात उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते हुए पहले से ही अधिसूचना संख्या 260-10 डी पी - 82/4784, दिनांक 26 मार्च, 1982 द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी सीमा के साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि अधिसूचना संख्या 260-10 डी पी - 82/4784, दिनांक मार्च, 1982 तथा सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) एन.टी.(जे.बी.-जे.जे.आर)/17/सी.ए./2007/1606, दिनांक 20 अप्रैल 2007 के द्वारा पूर्व घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा का मिलान बिन्दु है। तत्पश्चात बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) एन.टी. (जे.बी.-जे.जे.आर)/17/सी.ए./2007/1606, दिनांक 20 अप्रैल 2007 द्वारा पूर्व घोषित नियंत्रित क्षेत्र की पश्चिमी तथा दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव किलोई की राजस्व सीमा तथा अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) एन.टी.(जे.बी.-जे.जे.आर)/17/सी.ए./2007/1606, दिनांक 20 अप्रैल 2007 तथा अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) एन.टी.(जे.बी.-जे.जे.आर)/17/सी.ए./2007/1613, दिनांक 20 अप्रैल 2007 द्वारा पूर्व घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं का त्रिकोणीय संगम है।

पूर्व: तत्पश्चात बिन्दु 'सी' से चलकर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) एन.टी.(जे.बी.-जे.जे.आर)/17/सी.ए./2007/1613, दिनांक 20 अप्रैल 2007, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) एन.टी.(जे.बी.-जे.जे.आर)/17/सी.ए./2007/1603, दिनांक 20 अप्रैल 2007 तथा अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) एन.टी.(जे.बी.-जे.जे.आर)/17/सी.ए./2007/1601, दिनांक 20 अप्रैल 2007 द्वारा पूर्व घोषित नियंत्रित क्षेत्र की पश्चिमी सीमाओं के साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव दादरी तौए की आयत संख्या 84 का अति दक्षिणी कोना है।

दक्षिण: तत्पश्चात बिन्दु 'डी' से चलकर पश्चिम की ओर गांव दादरी तौए की आयत संख्या 84, 83, 82, गांव औरंगपुर की आयत संख्या 70, 71, 72, 69, 68, 67, 64, 65, 66, 57 तथा 56 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'ई' तक, जो कि गांव जहादपुर (हदबस्त संख्या 255), गांव औरंगपुर तथा गांव उटलोदा (हदबस्त संख्या 257) की राजस्व सीमाओं का त्रिकोणीय संगम है।

पश्चिम: तत्पश्चात बिन्दु 'ई' से चलकर उत्तर की ओर बढ़ते हुए गांव औरंगपुर की आयत संख्या 56, 55, 42, 41, 27, 26, 14, 13, 12, 1 तथा 2, गांव दुरिना की आयत संख्या 53, 54, 43, 42, 31, 30, 29, 20, 19, 10 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जोकि प्रारम्भ बिन्दु है।

टी. सी. गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।